आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमण्डल, छपरा

आर्म्स अपीलवाद संख्या–224/2022

जय प्रकाश दूबे, पिता–बैजनाथ दूबे।

बनाम्

बिहार सरकार व अन्य।

उपस्थिति/प्रतिनिधित्व

वादी की तरफ से :–विद्वान अधिवक्ता, रमेश चन्द्र वर्मा एवं सदन शरण।

प्रतिवादी की तरफ से :–विद्वान अपर लोक अभियोजक, सारण।

आदेश

अनुसूची–14 फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
27.09.2024 **21.10.2024**	**प्रस्तुत अपील आवेदन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा *CWJC No.12443/2021,* जय प्रकाश दूबे बनाम् बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक–*16.11.2022* को पारित आदेश के आलोक में दाखिल हुआ है।** माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है। *"It is needless to state that in case appropriate appeal is filed within a period of four weeks from today the same shall be decided in accordance with law, within a period of 12 weeks thereafter.* *The writ petition stands disposed off on the aforesaid terms."* वाद का संक्षिप्त विवरण यह है कि अपीलार्थी जय प्रकाश दूबे पिता–बैजनाथ दूबे, ग्राम–कोडैयला, थाना–आन्दर, जिला–सिवान, शस्त्र अनुज्ञप्ति सं०–89/2001 *(NP Bore Rifle)* के धारक है और अपनी जीविका उपार्जन हेतु पटना स्थित निजी प्रतिष्ठान "माँ काली कन्सट्रक्शन" में सुरक्षा प्रहरी के रूप में भी काम करते है। उनके द्वारा अपनी शस्त्र को Verification हेतु नहीं प्रस्तुत करने के कारण जिला दण्डाधिकारी, सिवान–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा ज्ञापांक–319, दिनांक–06.10.2020 को कारण–पृच्छा निर्गत की गई की क्यों नहीं उनके इस चूक के लिए उनकी शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाये। इसी बीच अपीलार्थी के विरूद्ध मनेर पुलिस थाना कांड सं०–323/2020 दर्ज होने के पश्चात् जिला दण्डाधिकारी, सिवान को उक्त कांड के अनुसंधान पदाधिकारी द्वारा अपीलार्थी की शस्त्र अनुज्ञप्ति	

WEB COPY NOT OFFICIAL

निरस्त करने की अनुशंसा की गई। तत्पश्चात् अपीलार्थी की शस्त्र अनुज्ञप्ति जिला दण्डाधिकारी, सिवान द्वारा आदेश ज्ञापांक–268/शस्त्र दिनांक–13.04.2021 द्वारा रद्द कर दी गई। उक्त शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्दीकरण आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष CWJC No.12443/2021 दाखिल की गई, जिसके निष्पादन के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निदेश के आलोक में वर्तमान अपील इस स्तर पर दाखिल हुआ है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिला दण्डाधिकारी, सिवान द्वारा पारित आदेश को अवैधानिक एवं वाद के तथ्यों से परे, एवं कानून अमान्य बताया गया है। इनका आगे कहना है कि इस मामले में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पूरी तरह उल्लंघन हुआ है क्योंकि अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का कोई अवसर नहीं दिया गया है। इन्होंने आगे यह भी कहा है कि जिला दण्डाधिकारी, सिवान का आदेश मनेर थाना कांड सं०–323/2020 के अनुसंधानकर्त्ता के प्रतिवेदन पर आधारित है, जो कि किसी भी तरह से न तो संतोषप्रद है और न ही मान्य है। वस्तुतः जिला दण्डाधिकारी को आदेश निर्गत करने के पूर्व अपीलार्थी के पूर्व आचरण एवं शस्त्र के गलत प्रयोग नहीं किए जाने संबंधित तथ्यों पर समुचित रूप से विचार करते। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया की अपीलकर्त्ता द्वारा सुरक्षा प्रहरी के दायित्व के निर्वहन में अपने नियोक्ता के नगद राशि की सुरक्षा हेतु कार्य करते है एवं उनके द्वारा अपने शस्त्र का कभी गलत प्रयोग नहीं किया गया है परन्तु जिला दण्डाधिकारी, सिवान द्वारा बिना तथ्यों का विशलेषण किए ही अनुज्ञप्ति रद्द की गई एवं सिर्फ किसी व्यक्ति के विरूद्ध 'प्रथम सूचना रिपोर्ट' दर्ज हो जाने के आधार पर शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्द नहीं की जा सकती है। अपने इस दावे के समर्थन इनके द्वारा कतिपय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये न्याय निर्णय का भी जिक्र किया गया है। उन्होंने अपीलार्थी के विरूद्ध कोई अन्य मामला लंबित नहीं रहने संबंधित शपथ–पत्र भी दिया है।

अंत में विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिला दण्डाधिकारी, सिवान द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी की शस्त्र अनुज्ञप्ति को पुर्नजीवित करने का अनुरोध किया गया।

विद्वान अपर लोक अभियोजक, सारण द्वारा जिला दण्डाधिकारी, सिवान का पक्ष रखते हुए कहा गया कि अपीलकर्त्ता के विरूद्ध मनेर थाना कांड सं०–323/2020 में इनकी संलिप्तता के संबंध में प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर

WEB COPY NOT OFFICIAL

इनकी शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्द की गयी है। जिला दण्डाधिकारी, सिवान द्वारा पारित आदेश सही है। अतः इसे यथावत् रखा जा सकता है।

वाद के सम्पूर्ण तथ्यों, संबंधित विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलील एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्द करने का आधार अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज मनेर थाना कांड सं०–323/2020 है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अपीलार्थी को न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, दानापुर, पटना के न्यायालय से दोषमुक्त किया जा चुका है परन्तु इस संबंध में पारित आदेश की सच्ची सत्यापित प्रतिलिपि समर्पित न कर छायाप्रति समर्पित किया गया है। जिला दण्डाधिकारी, सिवान द्वारा शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्दीकरण आदेश दिनांक–13.04.2021 को पारित किया गया है। इससे स्पष्ट है कि इस आदेश की तिथि तक अपीलकर्त्ता के विरूद्ध दर्ज मनेर थाना काण्ड सं०–323/2020 में अपीलकर्त्ता दोष मुक्त नहीं हुए थे, बल्कि न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी दानापुर, पटना द्वारा उक्त थाना काण्ड से उत्पन्न वाद का निष्पादन दिनांक–24.04.2024 को करते हुए अपीलार्थी को दोष मुक्त किया गया है। ऐसी स्थिति में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुपालन में यह आवश्यक हो जाता है कि अपीलार्थी के मामलें में गुण–दोष के आधार पर पुनः विचार अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा किया जाए।

अतः उपरोक्त कारणों से जिला दण्डाधिकारी द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक–268/शस्त्र, दिनांक–13.04.2021 को **Set aside** करते हुए प्रस्तुंत वाद को पुनः सुनवाई कर नये सिरे से गुण–दोष के आधार पर मुखर आदेश पारित करने हेतु **Remand** किया जाता है। साथ ही यह भी निदेश है कि सुनवाई के क्रम में अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुलिस अधीक्षक, सिवान से अपीलार्थी के चरित्र एवं अन्य आपराधिक गतिविधि में संलिप्तता, अगर कोई हो, तो इससे संबंधित स्पष्ट प्रतिवेदन भी प्राप्त कर सकते है।

उक्त के आलोक में प्रस्तुत अपीलवाद का **निस्तार** (Disposed off) किया जाता है।

आई०टी० सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त आयुक्त।

WEB COPY NOT OFFICIAL